पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 24/2021

1. सुरेश कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति गुसाई निवासी अनुपशहर त0 भादरा।

:— वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र काशीराम जाति गुसाई निवासी अनुपशहर त0 भादरा।
2. विनोद कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति गुसाई निवासी अनुपशहर त0 भादरा।
3. सुमन गिरी पुत्री ओमप्रकाश जाति गुसाई निवासी अनुपशहर त0 भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— **प्रतिवादीगण**

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री योगेश शर्मा एवं वकील प्रतिवादीगण श्री महेश बंसल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा अनुपशहर के खाता सं0 25/20 के खसरा स0 436/3 की 4.0220है0 खसरा सं0 926/3 की 5.9060है0 कुल 9.9280है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उसमें तन्हा प्रतिवादी सं 1 ओमप्रकाश की बजाए वादी व प्रतिवादी सं 1 ता 2 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूकिं प्रतिवादी सं0 3 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी सुरेश कुमार प्रतिवादी सं 1 ओमप्रकाश व प्रतिवादी सं0 2 विनोद कुमार को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 22.03.21... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर
(फास्ट सत्यनारायण)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आर0एस

प्रकरण सं0 : 24/2021

1. सुरेश कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति गुसाई निवासी अनुपशहर त0 भादरा।

:– वादी

ब ना म

1. ओमप्रकाश पुत्र काशीराम जाति गुसाई निवासी अनुपशहर त0 भादरा।
2. विनोद कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति गुसाई निवासी अनुपशहर त0 भादरा।
3. सुमन गिरी पुत्री ओमप्रकाश जाति गुसाई निवासी अनुपशहर त0 भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरुस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री योगेश शर्मा : वादी

वकील श्री महेश बंसल : प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक : 22.03.24

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही नौजा अनुपशहर के खाता सं0 25/20 के खसरा स0 436/3 की 4.0220है0 खसरा सं0 926/3 की 5.9060है0 कुल 9.9280है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश के नाम राजस्व रिकार्ड में दज है। जो पहले वादी के दादा काशीराम की खातेदारी हुआ करती थी। काशीराम के बाद उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादीगण की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही वनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 3 द्वारा आपसी सहमती से दावा को सभी नद संख्या को स्वीकार करते हुए अपने पहचान पत्र व दस्तावेजों के साथ राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं0 4 स्टेट की ओर से जवाब पेश किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 सुरेश कुमार पुत्र ओमप्रकाश के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी रोही अनुपशहर संवत 2071–74 खाता सं0 25/20 प्रदर्श 1 सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 2 जमाबंदी रोही अनुपशहर संवत 2075–78 प्रदर्श 3 जमाबंदी रोही अनुपशहर संवत 2043 प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये।

Scanned with CamScanner

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। अतः मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही अनुपशहर के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। दस्तावेजी साक्ष्य में दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी रोही अनुपशहर संवत 2071–74 खाता सं0 25/20 प्रदर्श 1 सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 2 जमाबंदी रोही अनुपशहर संवत 2075–78 प्रदर्श 3 जमाबंदी रोही अनुपशहर संवत 2043 प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये। जिसमें प्रदर्श 4 से कृषि भूमि दादालाई पैतृक भूमि होना साबित है तथा प्रदर्श 2 में वारिस प्रमाण के अनुसार ओमप्रकाश के दो पुत्र सुरेश कुमार व विनोद कुमार व एक पुत्री सुमन गिरी इनके अलावा कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 जन्म से हक हिस्सा निहित है । प्रतिवादीयां सं0 3 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। चूकि दावा के अनुतोष के मुताबिक दावा विभाजन की श्रेणी में आता है जबकि वादीगण ने अपना दावा घोषणा के रूप में मांगा हैं जिसमें खाता तकसीम का कोई अनुतोष नहीं है। ओर ना ही दावा में लैण्ड होल्डर पक्षकार नहीं है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर आंशिक स्वीकृत किया जाता है। ।

कियात्मक आदेश

अत : वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा अनुपशहर के खाता सं0 25/20 के खसरा स0 436/3 की 4.0220है0 खसरा सं0 926/3 की 5.9060है0 कुल 9.9280है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उसमें तन्हा प्रतिवादी सं 1 ओमप्रकाश की बजाए वादी व प्रतिवादी सं 1 ता 2 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूकिं प्रतिवादी सं0 3 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी सुरेश कुमार प्रतिवादी सं 1 ओमप्रकाश व प्रतिवादी सं0 2 विनोद कुमार को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22.03.21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा

R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner